मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4273
18 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

efyu cfLr;ksa dh ykxksa dk iquokZl

4273. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या vkokl u vkSj 'kgjh dk;Z मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों/परिवारों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(ग) मलिन बस्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के पुनर्वास हेतु कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) अब तक इस संबंध में निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है तथा भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार मलिन बस्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों हेतु पुनर्वास योजनाओं की निगरानी करती है तथा इस संबंध में आवधिक समीक्षा करती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश को मलिन बस्ती मुक्त बनाने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य का विषय हा। तथापि, साख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) □ वधिक रूप से स्लम के विवरण के संबंध में सर्वेक्षण करता हा।

इस संबंध में एनएसएसओ द्वारा अद्यतन सर्वेक्षण शहरी स्लम 2012 पर 69वें राउण्ड के दौरान किया गया था। उक्त सर्वेक्षण के दौरान, एनएसएसओ द्वारा एकत्रित □ंकड़ों के □धार पर, देश में स्लमों और स्लम परिवारों की अनुमानित संख्या क्रमशः 33,510 और 88,09,007 हा।

(ग) और (घ) : भारत सरकार, विभिन्न प्रोग्रामटिक उपायों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वासीय कमी को दूर करने के लिए तकनीकी और वित्तीय, दोनों रूप से सहायता प्रदान कर रही ह वासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) स्लम निवासियों सहित सभी पात्र शहरी परिवारों को वर्ष 2022 तक सभी मौसम अनुकूल पक्का वास उपलब्ध कराने हेतु 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री वास योजना (शहरी) [पीएमएवाई(यू)] मिशन का कार्यान्वयन कर रहा ह पीएमएवाई(यू) मिशन के अंतर्गत "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्वास (ईएसएस र) घटक में स्लम निवासियों को वास उपलब्ध कराने हेतु संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने का अधिदेश ह इस दृष्टिकोण का उद्देश्य पात्र स्लम निवासियों को औपचारिक शहरी बादी में लाकर वास उपलब्ध कराने हेतु स्लमों के अंतर्गत भूमि की अवरोधित क्षमता को बढ़ाना ह पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत स्लम पुनर्वास हेतु निर्माणाधीन वासों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया ह

(ड.): वासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का वास प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ईएसएस र घटक सहित, पीएमएवाई (यू) मिशन की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करता ह प्रगति की निगरानी हेतु तंत्र निम्नानुसार ह

- सचिव, वासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित एक अंतर-मत्रालयी समिति अर्थात् केन्द्रीय संस्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी), मिशन की समग्र समीक्षा और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी एक महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण निकाय ह
- मिशन के ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक की निगरानी करने हेतु सचिव, वासन और शहरी कार्य मंत्रालय और सचिव, वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय की एक समिति का भी गठन किया गया।
- संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय राज्य स्तरीय संस्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी), राज्य स्तर पर मिशन के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी का प्रभार देखती ह
- महापौर अथवा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक नगर स्तरीय मिशन, चयनित शहरों में स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करता ह

(च): पीएमएवाई(यू) मिशन दिशानिर्देशों के जारी होने के अनुसरण में, वासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और केंद्र सरकार के भू-स्वामित्व वाले मंत्रालयों/विभागों को उनकी भूमि पर स्लम के पुनर्वास की संभावनाओं का पता लगाने और पीएमएवाई(यू) मिशन के अंतर्गत वासन और शहरी कार्य मंत्रालय से केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा ह

दिनांक 18.07.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4273 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत स्लम पुनर्वास हेतु निर्माणाधीन वासों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय प्रगति		वास की वास्तविक प्रगति		
		अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (करोड़ रू0 में)	जारी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रू0 में)	स्वीकृत किया गया (सं.)	निर्माण के लिए भूमि * (सं.)	पूर्ण निर्माण* (सं.)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-
2	ंध्र प्रदेश	41.26	32.87	1,617	17,219	13,741
3	अरुणाचल प्रदेश	77.39	77.39	1,536	2,608	320
4	असम	-	-	-	3,644	1,257
5	बिहार	297.72	161.70	11,276	28,185	24,326
6	चंडीगढ़ (यूटी)	-	-	-	4,960	4,960
7	छत्तीसगढ़	65.55	13.54	6,246	13,606	12,356
8	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	144	144
9	दमन और दीव (यूटी)	-	-	-	-	-
10	दिल्ली (यूटी)	-	-	-	40,580	23,980
11	गोवा	-	-	-	-	-
12	गुजरात	1,012.72	471.61	86,620	79,573	48,202
13	हरियाणा	210.60	119.28	3,593	3,583	2,387
14	हिमाचल प्रदेश	27.62	9.21	300	865	511
15	जम्मू और कश्मीर	15.98	11.56	369	3,488	1,431
16	झारखंड	252.32	73.40	19,448	9,030	8,885
17	कर्नाटक	638.77	529.59	23,125	28,249	24,819
18	केरल	66.06	25.86	2,118	8,628	7,554
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	251.37	183.92	10,295	23,549	20,601
21	महाराष्ट्र	2,232.37	-	2,23,237	1,40,782	51,008
22	मणिपुर	-	-	-	780	780
23	मेघालय	-	-	-	776	648
24	मिजोरम	9.49	7.51	142	690	690
25	नागालैंड	41.68	24.74	1,054	4,374	3,415
26	ओडिशा	363.16	145.38	18,535	16,531	8,084
27	पुदुचेरी (यूटी)	-	-	-	1,040	504
28	पंजाब	10.25	7.88	1,025	3,847	3,311
29	राजस्थान	450.07	278.17	21,908	47,231	32,401

30	सिक्किम	-	-	-	202	202
31	तमिलनाडु	135.25	112.52	4,880	45,412	41,478
32	तेलंगाना	22.25	62.38	1,198	12,769	8,305
33	त्रिपुरा	77.92	59.94	3,005	3,183	835
34	उत्तर प्रदेश	279.22	172.07	8,409	36,428	30,794
35	उत्तराखंड	128.80	107.48	3,130	3,908	3,216
36	पश्चिम बंगाल	15.05	11.58	472	36,543	28,614
कुल योग		**6,722.86**	**2,699.57**	**4,53,538**	**6,22,407**	**4,09,759**

* इस संख्या में 2014 के बाद निर्माणाधीन एवं पूर्ण तथा पूर्व स्कीम के अपूर्ण वास शामिल ह।